डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2001—भाद्र 29, शक 1923

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 625/परिवहन विभाग/2001.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने के पश्चात् विचार किया जाएगा.

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने से पूर्व प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, रायपुर द्वारा दाऊ कल्याण सिंह भवन, कक्ष क्रमांक 209 में प्राप्त किए जाए, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन

1. उक्त नियमों में—

(1) नियम 56 के लिये निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी को यह निर्देश देती है कि वह अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर समस्त या किसी भी वर्ग के यान के बारे में (क) मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का सं. 4) के अधीन आवंटित क्रमांकों के स्थान पर और (ख) मध्यप्रदेश सीरीज में रजिस्ट्रीकृत या समनुदेशित क्रमांकों के स्थान पर इस अधिनियम के अधीन नए क्रमांक

पुन: समनुदेशित करें तथा उसके लिए रीति तथा शर्त भी विहित करती है और इस संबंध में अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (6) के उपबंध लागू होंगे.

(2) जब राज्य सरकार उप नियम (1) के अधीन आदेश जारी कर रहा है तब ऐसा युक्ति-युक्त समय देगा जो कम से कम चार मास का होगा जिसके भीतर ऐसे यान का स्वामी नया क्रमांक अभिप्राप्त करें.

(3) उप नियम (1) के अधीन नए क्रमांक को समनुदेशित करने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी.

(4) उप नियम (2) के अधीन इस प्रकार नियत समय की समाप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी व्यतिक्रमी यानों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कार्रवाई प्रारंभ करेगा.

(5) जहां किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र उप नियम (4) के अधीन निरस्त या निलंबित कर दिया गया है वहां सक्षम प्राधिकारी और/या अधिकारी इस अधिनियम की धारा 192 और 207 के अधीन कार्रवाई कर सकेगा.

(6) जहां स्वामी उप नियम (2) के अधीन नियत समय की समाप्ति के पश्चात् यान को पुन: रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता है तो वहां रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह उप नियम (4) और (5) के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के बदले में अधिनियम की धारा 2000 के अधीन प्रशमन शुल्क का भुगतान कर और केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस भी जमा करेगा और तब उसे क्रमांक समनुदेशित किया जाएगा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2001

क्रमांक 625/परि.वि./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या दिनांक 20-9-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, उप-सचिव.

Raipur, the 20th September 2001

NOTIFICATION

No. 625/Transport Department/2001.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 which the State Government propose to make in exercise of the powers conferred by Section 65 of Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information for all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette."

Any objetion or suggestions which may be received by the Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Transport Department, Raipur, during the office hours at Dau Kalyan Singh Bhawan, Room No. 209 from any person with respect to the said draft before expiry of the aforesaid specified period will be considered by the State Government.

AMENDMENT

1. In the said rules—

(1) for rule 56, the following rule shall be substituted, namely :—

56. Re-assignment of registration number under certain conditions.

(1) State Government may, by general or special order, direct all registering Authorities of the State in their respective jurisdiction to reassing the new number under the Act.

(a) In place of number alloted under the Motor Vehicles Act, 1939 (No. 4 of 1939), and

(b) in place of number registered or assigned in Madhya Pradesh series, in respect of all or any class of vehicles and also prescribed the manner and condition thereof, and the provision of sub-section (6) of Section 41 of the Act shall apply in this regard.

(2) State Government while issuing order under sub-rule (1), shall provide a reasonable time, which shall not be less than four months within which the owner of such vehicle shall obtain new number.

(3) No Fee shall be charged for the assignment of new number under sub-rule (1).

(4) After expiry of the time so fixed under sub-rule (2) the Registering authority may initiate action against the defaulter vehicle under clause (a) of sub-section (1) of Section 53 of the Act.

(5) Where the registration certificate of a vehicle is canceled or suspended under sub-rule (4) the competent Authority and/or officers may take action under Section 192 and 207 of the Act.

(6) Where the owner appy for re-registration of a vehicle after expiry of the time so fixed under sub-rule (2), the Registering Authority may, require the owner to pay composition fee under Section 200 of the Act in lieu of any action that may be taken against him under sub-rule (4) and (5) and also deposit the registration fee under rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules 1989, and then reassign the number.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Dy. Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.